महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 13 / 66–2006–188टी0सी0–5अ0ग्रा0वि0वि0 / 03

प्रेषक,

नवीन चन्द्र बाजपेई
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– प्रमुख सचिव / सचिव, गृह, नियोजन, वित्त, लोक निर्माण, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत, पंचायती राज, लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण, महिला कल्याण, विकलांग कल्याण, परिवार कल्याण, खाद्य एवं रसद, राजस्व तथा वन विभाग, उ0 प्र0 शासन।

2– मण्डलायुक्त, आजमगढ़, वाराणसी, मीरजापुर तथा गोरखपुर मण्डल।

3– जिलाधिकारी, चन्दौली, गाजीपुर, मीरजापुर, सोनभद्र, बलिया, मऊ, देवरिया तथा कुशीनगर।

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग लखनऊ : दिनाँक : 2 मई, 2006

विषय :– नक्सलप्रभावित समग्र ग्राम्य विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

उक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1613 / 66–2005–188 टी0सी0–5 अ0ग्रा0वि0वि0 / 03 दिनाँक 2 जनवरी, 2006 तथा शासनादेश संख्या 42 / 66–05–181 अ0ग्रा0वि0वि0 / 03 दिनाँक 7 अप्रैल, 2006 का संदर्भ ग्रहण करें। नवचिन्हित 427 ग्रामों की जनपदों से बनकर प्राप्त कार्ययोजना का शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। नवचिन्हित 427 ग्रामों के संतृप्तीकरण का कार्य वित्तीय वर्ष 2006–07 में पूर्ण किया जायेगा।

2– सभी कार्यदायी विभागों द्वारा अपने कार्यक्रम / कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु लक्ष्य के सापेक्ष मासिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाय। निर्धारित किये गये माहवार लक्ष्यों का विवरण कार्यदायी विभाग अपने विभागीय अधिकारियों को कार्यान्वयन किये जाने के लिये स्पष्ट निर्देश सहित भेजेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी एवं अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। यह कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण कर ली जाय।

3– चिन्हित ग्रामों की कार्ययोजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तपोषण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व कार्यदायी विभाग का है। योजनान्तर्गत चिन्हित समस्त ग्रामों को कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध विभागीय बजट से सभी संगत विकास कार्यक्रमों को एकस्थ (**convergence**) करके संतृप्त किया जायेगा। सभी कार्यदायी विभाग लक्ष्यों को पूर्ण कराने हेतु पर्याप्त वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करें तथा इसमें यह सुनिश्चित कर ले कि अपेक्षित धनराशि अवमुक्त होकर निचले पायदान तक पहुँच जाय।

4– सम्बन्धित कार्यदायी विभाग योजना के विभिन्न कार्यक्रम / कार्यक्रमों के जनपदस्तर पर गुणवत्तायुक्त कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण / यथास्थिति कार्यवाही हेतु मुख्य विकास अधिकारी तथा सम्बन्धित कार्यदायी विभाग उत्तरदायी होंगे।

5– सभी विभागों का पर्यवेक्षण / निरीक्षण का कार्य जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त द्वारा सम्पादित किया जायेगा। गुणवत्तायुक्त कार्यान्वयन हेतु माह में 10 से 15 प्रतिशत ग्रामों का निरीक्षण किया जायेगा। मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी द्वारा प्रतिमाह 2 ग्रामों का निरीक्षण स्वयं किया जायेगा तथा शेष ग्रामों के निरीक्षण हेतु मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार मण्डल / जनपदस्तरीय अधिकारियों को लगा सकेंगे। समीक्षा / निरीक्षण में पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु निरीक्षण आख्या सम्बन्धित कार्यदायी विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी द्वारा अपनी आख्या सहित अम्बेडकर ग्राम

विकास विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर औचक समीक्षा/ निरीक्षण किये जायेंगे।

6– सभी सम्बन्धित कार्यदायी विभागा द्वारा अपने कार्यक्रम/ कार्यक्रमों के गुणवत्तायुक्त सफल एवं समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु प्रतिमाह 7 तारीख को उच्चस्तरीय समीक्षा की जायेगी तथा उसका कार्यवृत्त एवं प्रगति रिर्पोटें माह की 10 तारीख को अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। यह तिथि यदि अवकाश की है तो अगले कार्यदिवस में बैठक कर आख्या/ रिर्पोटें अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

7– नक्सलप्रभावित समग्र ग्राम्य विकास योजना की मासिक प्रगति आख्यायें माह की 8 तारीख तक प्रत्येक दशा में इस विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। जनपद स्तर पर इसके लिये मुख्य विकास अधिकारी तथा मण्डल स्तर पर संयुक्त/ उप विकास आयुक्त उत्तरदायी होंगे। यदि 8 तारीख अवकाश की होगी तो एक दिन पूर्व ही प्रगति रिर्पोटें इस विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेश लागू माने जायेंगे।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र बाजपेई)
मुख्य सचिव,

पृष्ठांकन संख्या 131 (1)/ – अ0ग्रा0वि0वि0 तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2– प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव/ सचिव, कृषि, कार्यक्रम कार्यान्वयन, गन्ना एवं चीनी उद्योग, चिकित्सा, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4– मण्डलायुक्त, आजमगढ़, मीरजापुर, वाराणसी, गोरखपुर मण्डल।
5– निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6– निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7– आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9– आयुक्त, गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10– निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11– निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12– निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13– परियोजना समन्वयक, यू0पी0डास्प, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
14– मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
15– संयुक्त/ उप विकास आयुक्त, आजमगढ़, मीरजापुर, वाराणसी, गोरखपुर मण्डल।
16– जिलाधिकारी, चन्दौली,, गाजीपुर, मीरजापुर, सोनभद्र, बलिया, मऊ, देवरिया, कुशीनगर।
17– मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली,, गाजीपुर, मीरजापुर, सोनभद्र, बलिया, मऊ, देवरिया, कुशीनगर।

आज्ञा से

(डी0सी0लाखा)
प्रमुख सचिव,